प्राइवेट सम्पदा सरकारी प्रबंध अधिनियम, 1892

(1892 का अधिनियम संख्यांक 10)

[25 अक्तूबर, 1892]

पर्यवेक्षण तथा प्रबंध संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए सरकारी प्रबंधाधीन प्राइवेट सम्पदाओं पर रेट के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

किसी विशिष्ट संपदा या संपदाओं के समूह के लिए विशेष रूप से रखे गए स्थापनों से भिन्न सभी सरकारी स्थापनों के व्यय को, वहां तक जहां तक वे सरकारी स्थापन ऐसी सम्पदा के पर्यवेक्षण तथा प्रबंध में नियोजित हैं, और ऐसे पर्यवेक्षण तथा प्रबंध के संबंध में सरकार द्वारा उपगत सभी आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के प्रबंधाधीन प्राइवेट संपदाओं पर किसी रेट का उद्ग्रहण करने के लिए उपबंध करना समीचीन है;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम और प्राइवेट संपदा सरकारी प्रबंध अधिनियम, 1892 है ।

[1][(2) इसका विस्तार उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जो पहली नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे, संपूर्ण भारत पर है] [2]*** ।

[2]* * * * *

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(1) "स्थावर संपत्ति" के अंतर्गत भूमि, भवन, आनुवंशिक भत्ते, मार्ग, प्रकाश, पारघाट, मत्स्यक्षेत्र के अधिकार या भूमि से उद्भूत कोई अन्य फायदा, और भूमि से संलग्न या किसी ऐसी वस्तु से जो भूमि से संलग्न हैं स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं भी हैं, किन्तु इसमें न कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास हैं;

(2) "सकल आय" के अंतर्गत उपज या नकद में प्रत्येक प्रकार की सभी प्राप्तियां हैं, किन्तु इसमें उधार लिए गए धन, मूल-धन की वसूलियां और स्थावर सम्पत्ति के या पूंजी के रूप में उचित रूप से वर्गीकृत स्थावर संपत्ति के या जंगम सम्पत्ति के विक्रय के आगम नहीं हैं ; और

(3) "सरकारी प्रबंधाधीन प्राइवेट सम्पदा" के अंतर्गत, निम्नलिखित भी हैं,—

(क) प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीन की सम्पदा;

(ख) सरकारी प्रबंधाधीन विल्लंगमित सम्पदा;

(ग) सरकारी राजस्व के संदाय के व्यतिक्रम के लिए कुर्क की गई सम्पदा;

(घ) किसी सिविल न्यायालय द्वारा सरकार के राजस्व अधिकारी की संरक्षकता में रखी गई अवयस्कों की सम्पदा;

(ङ) [3]सिविल प्रक्रिया संहिता (1882 का 14) के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में कलक्टर द्वारा प्रबंधित संपदा; और

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी करार के आधार पर सरकार के किसी राजस्व अधिकारी के, उस हैसियत में, प्रबंधाधीन दी गई या ली गई सभी अन्य सम्पदा ।

[4]**3. रेट उद्ग्रहण करने की शक्ति**—राज्य सरकार के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह—

(1) (क) किसी विशिष्ट संपदा या संपदा के समूह के पर्यवेक्षण या प्रबंध के लिए विशेष रूप से रखे गए स्थापनों से भिन्न सभी सरकारी स्थापनों के, वहां तक जहां तक वे ऐसी संपदा के पर्यवेक्षण या प्रबंध में नियोजित हैं, व्यय को, और

(ख) ऐसे पर्यवेक्षण या प्रबंध के परिणामस्वरूप उपगत सभी आकस्मिक व्यय को,

---

[1] यह उपधारा यथा उपरोक्त पढ़ी जाने के लिए अनुक्रमश: 1898 के अधिनियम सं० 13 द्वारा और भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित की गई है ।

[2] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "और" शब्द और उपधारा (3), निरसित ।

[3] अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) देखिए ।

[4] इस धारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उदाहरण के लिए देखिए सी०पी०आर० और ओ० ।

पूरा करने के लिए सरकारी प्रबंधाधीन सभी प्राइवेट सम्पदा पर यावत्शक्य निकटतम संगणित सकल आय पर पांच प्रतिशत से अनधिक का रेट उद्गृहीत करे ।

(2) समय-समय पर ऐसे रेट में परिवर्तन करे, और

(3) किसी विशेष मामले या किन्हीं मामलों में ऐसे रेट को कम करे या उसका परिहार करे, जैसा कि साम्यापूर्ण हो :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी विशिष्ट संपदा या संपदा समूह पर उद्गृहीत किए जाने वाले रेट की रकम का विनिश्चय करने में, राज्य सरकार ऐसी संपदा या संपदाओं के लिए विशेष स्थापनों पर उपगत व्यय को विचार में लेगी ।

4. विशेष प्रभार उद्गृहीत करने की शक्ति—ऐसे मामलों में, जहां किसी संपदा की ओर से कोई सरकारी अधिकारी विधिक सलाह देने या लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है, वहां राज्य सरकार, यदि वह दी गई सेवाएं विशेष प्रकृति की सेवाएं समझती है, तो स्वविवेकानुसार यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी सेवाओं के कारण उस संपदा पर विशेष प्रभार लगाया जाए भले ही अंतिम पूर्वगामी धारा के अधीन उद्ग्रहणीय रेट कुछ भी रहा हो ।

5. विशेष व्यय के बारे में व्यावृत्ति—इस अधिनियम की कोई भी बात विशेष रूप से रखे गए स्थापनों के व्यय को या किसी विशिष्ट संपदा या संपदाओं की बाबत विशेष रूप से उपगत किसी प्रकार के व्यय को लागू नहीं होगी ।

6. पहले रेटों के उद्ग्रहण की विधिमान्यता—साधारण पर्यवेक्षण या प्रबंध के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत सभी रेट इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत समझे जाएंगे ।

7. नियम बनाने की शक्ति—[1][(1)] राज्य सरकार [2][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगी] और ऐसे आदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों और उससे सुसंगत हों ।

[3][(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी किया गया प्रत्येक आदेश, बनाए/जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

8. न्यायालयों की अधिकारिता से छूट—जहां कोई सरकारी स्थापन यथापूर्वोक्त जैसे पर्यवेक्षण में नियोजित हो, वहां राज्य सरकार इस बात की एकमात्र निर्णायक होगी कि ऐसे नियोजन के फलस्वरूप कितना व्यय हुआ है और उस पर उसका विनिश्चय किसी न्यायालय में, या अन्यथा, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

9. [निरसन ।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 14) की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

———

[1] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।